

Service Book No. GPF A/C No.

ब्लॉक वर्ष Home Town/All India/Calender Year के लिए अवकाश यात्रा रियायत
अग्रिम लेना।

मेरे द्वारा लिए जा रहे ब्लॉक वर्ष Home Town/All India का पहले कभी उपयोग नहीं किया गया है।

1. नाम, पदनाम व लेखा संख्या (स्पष्ट शब्दों में)
2. रजा लेखा विभाग में नियुक्ति की तारीख
3. अस्थायी या स्थायी
4. सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन (BP+GP) के साथ ब्यौरा दें।
5. कार्यालय/अनुभाग जिसमें कार्यरत हैं।
6. छुट्टियों का प्रकार और अवधि (EL/CL) का ब्यौरा दें।
7. छुट्टी स्थान से दूरी
8. घेने गृहनगर के लिए अवकाश यात्रा रियायत लिया है गृहनगर का पता लिखें।
9. खान जहा की यात्रा करने की इच्छा है।
10. गृहनगर से निकटम रेलवे स्टेशन
11. यात्रा की संभावित तारीख
12. किस श्रेणी में यात्रा करना है।
13. श्रेणी जिसमें यात्रा करने की हकदारी है।
14. यात्रा करने का विवरण - रेल/बस आदि
15. (क) प्रतिपूर्ण टिकट रेलवे/किराया (एक ओर)
(ख) प्राथक आधा टिकट का रेलवे किराया (एक ओर)
16. क्या यात्रा के लिए अग्रिम राशि ली गई है।

Service Book Records के अनुसार मुख्य कार्यालय को प्रेषित पारिवारिक विवरण इस प्रकार है।

(क) स्वयं (ख) पत्नी (ग) परिवार के अन्य सदस्य

1. 9 वर्ष से बड़े
2. 12 वर्ष से बड़े
3. 9 वर्ष से छोटे
4. 12 वर्ष से छोटे

17. मैं पूर्णतः जागरूक हूँ कि मैं छुट्टी के उपरांत पुनः कार्यभार संभालने / परिवार की यात्रा पूर्ण होने के तत्काल बाद अर्थात् ऐसे दावे को प्रस्तुत करने की एक महीने की अधिकतम समय सीमा के भीतर अवकाश यात्रा रियायत का समायोजन दावा प्रस्तुत करने की अग्रता देनी है। अन्यथा मेरे द्वारा लिया गया पूर्ण अग्रिम व अन्य लाभ और उस पर शासिक ब्याज सहित मेरे वेतन से वसूल किया जा सकता है। मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि अग्रिम प्रमाणित के 10 दिनों के भीतर मैं अग्रिम को उपयोग करने के प्रमाण या रेलवे टिकट/नकद रसीद हत्यादि प्रस्तुत करूंगा और मेरे द्वारा यात्रा Shortest Route से ही की जाएगी जो एलएचटीसी Rule के नियम अनुसार होगा।

18. मेरे द्वारा पिछले ब्लॉक वर्षों के दौरान (Home Town/All India/Calender Year) अवकाश यात्रा रियायत और Leave Encashment का ब्यौरा इस प्रकार है।

1. ब्लॉक वर्ष Leave Encashment Days

2.

3.

4.

5.

मैं एतद्वारा यह भी प्रमाणित करता हूँ कि -

- (1) मेरी पत्नी /पुत्री/पिता/माता/भाई/बहनें मेरे साथ रह रहे हैं और पूर्णतः मुझ पर आश्रित हैं।
- (2) अग्रिम राशि लेने के तीस दिनों के भीतर यात्रा प्रारंभ करने की स्थिति में पूर्ण अग्रिम राशि, राशि के ब्यौरा सहित सरकार को लौटा दी जाएगी।
- (3) यदि मुझे अपना अवकाश तीन माह से अधिक बढ़ाना पड़ा तो अग्रिम की आधी राशि सरकार को वापस दे दी जाएगी।
- (4) मैं जिस दर्जे में यात्रा करने का हकदार हूँ उसके लिए, लिए गए अग्रिम को उससे निम्न दर्जे में यात्रा करने का निर्णय लेने पर अतिरिक्त राशि तत्काल जमा कर दूंगा।
- (5) मुख्य कार्यालय के दिनांक 15-01-81 के परिपत्र संख्या प्रशा/29/0142 के अंतर्गत परिचालित निर्धारित प्रपत्र में मैंने अपने पारिवारिक विवरण Service Book Records के लिए भेज दिया है।
- (6) मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी नहीं है।
- (7) मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी है और Joint Dealaration Service Book में लगा दिया गया है।
- (8) मेरे माता-पिता/बहनें/भाई और बेटे तथा बेटियों जिनके लिए अवकाश यात्रा रियायत का दावा प्रस्तुत किया है, मेरे साथ रहते हैं और पूर्णतः मुझ पर आश्रित हैं। उनमें से प्रत्येक की व्यक्तिगत आय 3500/- प्रति माह से अधिक नहीं है तथा मेरी बहनें/भाई/बेटे/बेटियां अविवाहित और बेरोजगार हैं।
- (9) ऊपर दिए गए विवरण सिलकुल सही हैं।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

व्यक्ति - हस्ताक्षरित

नोट-1. यदि आपके द्वारा अग्रिम राशि ली गई है तो LTC Claim (With in Stipulated period) एक महीने के अंदर भेज दिया जाए।

2. यदि आपके द्वारा अग्रिम राशि नहीं ली गई है तो LTC Claim (With in Stipulated period) तीन महीने के अंदर भेज दिया जाए।